दिनांक 31.03.2018 को कृषि निदेशक, बिहार की अध्यक्षता में गरमा, 2018 में बीज वितरण हेतु सभी योजना के नोडल पदाधिकारियों एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक सम्बंधित कार्यवाही :–

---

1. गरमा, 2018 में हरी खाद योजना एवं अन्य सरकारी सभी योजना अन्तर्गत जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं अन्य सभी योजनाओं में सभी किसानों को बायोमैट्रिक सिस्टम द्वारा ही बीज उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
2. गरमा, 2018 में हरी खाद योजना अन्तर्गत किन–किन जिलों में मूँग एवं ढ़ैचा का कितना बीज दिया जा रहा है, उसकी सूचना संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला कृषि पदाधिकारी को बी0आर0बी0एन0 के उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय–सह–मुख्य प्रभारी पदाधिकारी द्वारा नियमित रूप से दिया जाएगा। साथ ही इसकी सूचना कृषि निदेशालय को भी नियमित रूप से दी जाएगी।
3. सभी जिला कृषि पदाधिकारी एवं संयुक्त निदेशक (शष्य) को निदेश दिया गया कि हरी खाद योजना गरमा, 2018 में मूँग, ढ़ैचा बीज वितरण एवं अन्य सभी सरकारी योजनाओं में जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना एवं अन्य योजना में बीज वितरण संबंधी प्रतिवेदन विक्रेतावार/प्रजातिवार तैयार कर नियमित रूप से दैनिक प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
4. मूँग एवं ढ़ैचा बीज वितरण किसानों को (Biometric authentication) आधार के माध्यम से पहचान कर कृषकों को वितरण कराया जाय।
5. IT मैनेजर श्री संजीत कुमार को इस सम्बन्ध में सभी जिलो को सम्बद्ध कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेशित किया गया।
6. जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को बैठक में उनके द्वारा मांगे गए मार्गदशन के सम्बन्ध में निदेशित किया गया कि पटना जिला में NSC के द्वारा ही बीज की आपूर्त्ति की जाएगी। प्रखण्ड स्तर पर वितरण की जिम्मेवारी NSC के सम्बद्ध विकेता (डीलर) के साथ विचार–विमर्श कर बीज वितरण कराने की जिम्मेदारी जिला कृषि पदाधिकारी की होगी।
7. इसी क्रम में आदेश दिया गया कि Biometric authentication Machine संबंधित विक्रेता को रखना है, विक्रेता के Stock Verification की जाँच सभी जिला कृषि पदाधिकारी एवं संयुक्त निदेशक (शष्य) नियमित रूप से करेंगे।
8. उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना को निदेशित किया गया कि सरकारी योजनाओं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा अन्य योजनाओं, गरमा, 2018

के बीज वितरण अपने अधीन बीज निरीक्षकों से राज्य के सभी जिलों में विक्रेतावार, प्रजातिवार के अनुसार स्टॉकपंजी एवं वितरण पंजी की जॉच कराकर प्रतिवेदन तैयार कर उपलब्ध कराना नियमित रूप से सुनिश्चित करेंगे।

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

31.3.18

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–33/17– 1962 पटना, दिनांक :– 31/03/2018

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बी0आर0बी0एन0, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/उप निदेशक, प्रशासन, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, कृषि, बिहार के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट पूर्णिया/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप–तौल, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/मुख्यालय स्थित सभी उप निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी योजना के नोडल पदाधिकारी/सभी जिला के नोडल पदाधिकारी/सभी राज्य प्रबंधक, उर्वरक कंपनी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान/सभी उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.3.17

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–33/17– 1962 पटना, दिनांक :– 31/03/2018

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल करने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31.3.17

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।